राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन', जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

क्रमांकःप.126 / कम्प / पेपरलेस एप्लीकेशन / 2020 / दिनांकः

परिपत्र

विदित है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(19)वित्त / राजस्व / 2018 जयपुर, दिनांक 19.10.2020 के द्वारा राज्य बीमा ऋण, जीपीएफ स्थाई / अस्थाई आहरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात खोले जाने वाले खातों के आहरण (Rtd. Withdrawal) के आवेदनों का पेपरलेस निस्तारण जिला कार्यालय सचिवालय में पायलट बेसिस पर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होने के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(2) / वित्त / राजस्व / 98 पार्ट I जयपुर, दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से दिनांक 15.12.2020 से पेपरलेस एप्लीकेशन व्यवस्था विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में प्रारम्भ की जा चुकी है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि दिनांक 15.12.2020 से विभाग के समस्त जिला कार्यालयों में राज्य बीमा ऋण, जीपीएफ स्थाई / अस्थाई आहरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात खोले जाने वाले खातों के आहरण (Rtd. Withdrawal) सम्बन्धी कुछ प्रकरणों में कार्मिक / डीडीओ के ई–साईन नहीं आ रहे है परन्तु ई–बेग में अपलोडेड दस्तावेज में ई–साईन प्रदर्शित हो रहे है। अतः सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में दस्तावेज यदि पेन्डिग टास्क में नही आ रहे है तो एम्प्लॉई के ई–बेग में भी जांच कर लेवें। यदि ई–बेग मे अपलोडेड दस्तावेज में ई–साईन आ रहे है तो प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(पदमा राम)
निदेशक

क्रमांकःप.126 / कम्प / पेपरलेस एप्लीकेशन / 2020 / 2531–2580 दिनांकः 02.03.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग,जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, बीमा / प्रानि, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय।
4. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रानि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्तों की निर्देशों की पालना कर आवश्यक कार्यवाही करें।

(योगमित्र दिनकर)
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स

Scanned by CamScanner